धर्मशास्त्रीय दृष्टि से आशौच निर्णय

*डॉ. शालिनी सक्सेना

सारांश

धर्मशास्त्र मानव जीवन का आचारशास्त्र है। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त मानव का जीवन धर्मशास्त्र द्वारा निर्धारित नियमों एवं सिद्धान्तों से बंधा रहता है। धर्मशास्त्रीय साहित्य में चारों वर्णों एवं आश्रमों के विभिन्न कर्तव्यों का प्रतिपादन किया गया है। आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त के साथ ही संस्कार, श्राद्ध, आशौच आदि विषयों का विवेचन भी धर्मशास्त्रीय साहित्य में विस्तार से हुआ हैं। आशौच से तात्पर्य शुद्धि से है। मानव जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिनके प्रभाव से मनुष्य अशुविता को प्राप्त होता है। वे अवसर एवं अवस्थाएं कौनसी है और उनसे शुद्धि के उपाय क्या है? इसका विवेचन धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में आशौच प्रकरण में किया गया है।

किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटना विशेष के कारण उत्पन्न अपवित्रता ही अशुद्धि है। याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में कहा है– आशौचशब्देन च कालस्नानाद्यवनोद्यः पिण्डोदकदानादिविधेः अध्ययनादिपर्युदासस्य च निमित्तभूतः पुरुषगतः कश्चनातिशयः कथ्यते। धर्मशास्त्रीय दृष्टि से यह अशुद्धि जन्म, मरण अथवा पात्रादि से सम्बन्धित कही गई है। आशौच धार्मिक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की हीनता, अभोज्यान्नता, अस्पृश्यता एवं दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ में भी ग्रहीत होता है। मिताक्षरा में आशौच की दो विशेषताएं बताई गई हैंः यह धार्मिक कृत्यों का अधिकार छीन लेता है तथा यह व्यक्ति को अस्पृश्य बना देता है। शुद्धि वह विशेषता है जो सभी धर्मों के सम्पादन की योग्यता या अधिक ार प्रदान करती है, यथाः– वेदबोधितकर्माहता शुद्धिः। इसके विपरीत अशुद्धि वह विशेषता है जो शुद्धि की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है। आशौच दो प्रकार का माना गया है जननाशौच एवं मरणाशौचं। इसे सूतक भी कहा गया है। स्मृतिग्रन्थों में जन्म के समय की अशुद्धि, जन्म एवं मरण पर अशुद्धि एवं केवल मरण की अशुद्धि इन तीन अर्थों में सूतक शब्द का प्रयोग किया गया है।

जननाशौचः– कुल में सन्तति उत्पन्न होने पर जन्म सम्बन्धी आशौच होता है। यह तीन प्रकार का कहा गया है। गर्भ के उपरान्त चार माह में गर्भपात होने पर 'स्राव' आशौच होता है इसमें प्रथम तीन माह में गर्भिणी को तीन दिन का और चतुर्थ माह में स्राव होने पर चार रात्रि का आशौच होता है और पिता की केवल स्नानमात्र से शुद्धि होती है। इस सम्बन में याज्ञवल्क्य कहते हैः– गर्भस्रावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम्।। पंचम–षष्ठ माह में गर्भपात होने पर 'पात' कहलाता है और इसमें गर्भिणी को मास अनुसार पाँच अथवा छः दिवस का आशौच होता है तथा पिता आदि सपिण्डों को तीन दिन का आशौच होता है। प्रसव में तो माता पिता और सपिण्डों को सम्पूर्ण जननाशौच होता है। प्रसवाशौच में वर्णक्रम से ब्राह्मण को दस दिन का, क्षत्रिय को बारह दिन, वैश्य को पन्द्रह दिन एवं शूद्र को एक मास का और संकर जातियों को शूद्र के समान आशौच होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सभी वर्णों को दस दिन का स्पर्शाशौच होता है। कर्म का अनधिकार तो कन्या की उत्पत्ति में एक महीना और पुत्र की उत्पत्ति में बीस दिन कहा गया हैं। पिता एवं सौतेली माता को पुत्र या पुत्री जन्म में वस्त्रसहित स्नान के बाद ही स्पृश्यता होती है।

पिता आदि सपिण्डों को केवल कर्म का अधिकारभाव होता है स्पर्श करने में कोईदोष नहीं होता। जातकर्म और दान में नालच्छेदन से पूर्व पिता का अधिकार होता है। सपिण्डों को दस दिन, समानोदकों को तीन रात्रि सगोत्रों को एक रात्रि का आशौच होता है। सपिण्डों एवं समानोदकों को मरण में जन्म के समान आशौच होता है। यदि पिता के घर में पुत्री के प्रसव होने पर मातापिता एवं भाई आदि को एक दिन का आशौच होता है। भाई के घर बहिन के प्रसव होने पर भी एक दिन का आशौच कहा गया है।जननाशौच के सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य ने कहा हैः–

पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदसृग्दर्शनाद् ध्रुवम्।

तदहर्न प्रदुष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात्।।

मरणाशौचः– मृत्यु होने पर मरणाशौच या शावाशौच होता है और इसमें स्पृश्यता व कर्म में अनधिकारिता दोनों कही गईं हैं। चारों वर्णों को मरणाशौच में कितने कितने समय का आशौच होता है इस सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य ने प्रायश्चित्तध्याय में कहा है कि–

क्षत्रस्य द्वादशाहानि विशः पंचदशैव तु।

त्रिंशद्दिनानि शूद्रस्य तदर्शं न्यायवर्तिनः।।

अलग अलग आयुवर्ग की मृत्यु पर पृथक् पृथक् आशौच कहा गया हैः–

- दस दिवस के भीतर नामकरण से पूर्व मृत्यु पर सपिण्डों की स्नानमात्र से शुद्धि होती है। मातापिता को तो पुत्र की मृत्यु पर तीनरात्रि का और कन्या की मृत्यु पर एक दिन का आशौच होता है।
- दाँत निकलने तक मृत्यु होने पर दाह करने पर सपिण्डों को एक दिन का और गाड़ने पर स्नानमात्र तक आशौच माता पिता को तीन दिन का आशौच होता है।
- कन्या के मरने पर तीन पीढ़ी तक के सपिण्डों को स्नानमात्र से शुद्धि होती है तथा मातापिता को दाँत निकलने तक एक दिन का आशौच होता है।
- सप्तम मास से चूड़ाकरण पर्यन्त और चूड़ाकरण के अभाव में भी तीन वर्ष तक सपिण्डों को स्नानमात्र का एवं माता पिता को तीन दिन का आशौच होता हैं।
- अनुपनीत भाई के मरने पर बहिन को आशौच नहीं होता।
- कन्या का तीन वर्ष बाद वाग्दान के पहले मरने पर तीन पीढ़ी तक सपिण्डों को एक दिन का और मातापिता को तीन दिन का आशौच होता है।श्वाग्दान के बाद विवाह पूर्व कन्या मरण पर पिता एवं पति के सपिण्डों को तीन दिन का आशौच होता हैं
- अनुपनीत बालक और अविवाहिता कन्या को मातापिता के मरने में ही दस दिन का आशौच होता है। दूसरों के मरण में कोई आशौच नहीं होता।
- उपनयन के बाद मरने में सपिण्डों को दस दिन का, सोदकों को तीन दिन का और सगोत्रों को एक दिन का आशौच या स्नानमात्र से शुद्धि होती है।
- स्त्री को विवाह के बाद मरने में दस दिन का आशौच कहा गया है।

- थ्ववाह उपरान्त पिता के घर कन्या के मरने पर मातापिता, भाई बहिन सभी को तीन रात्रि का आशौच होता है। उसी घर में रहने वाले चाचा आदि एवं सपिण्डों को एक दिन का आशौच होता है।
- दूसरे स्थान पर मरने पर मातापिता को पक्षिणी आशाच होता हैं। पति के घर मरने पर मातापिता को त्रिरात्राशौच होता है और भाई को पक्षिणी आशौच।
- मातापिता के मरने पर विवाहित पुत्री को दस दिन के भीतर सुनने पर त्रिरात्र और उसके बाद सुनने पर पक्षिणी आशौच होता हैं।
- उपनीत भाई और विवाहित बहिन के परस्पर एक दूसरे के घर मरने पर त्रिरात्र का आशौच होता है।
- मामा के मरने पर भान्जा भान्जी को पक्षिणी आशौच होता है। अपने घर में मामा के मरने पर त्रिरात्राशौच होता है। मामी के मरने में पक्षिणी आशौच होता है।
- उपनीत भान्जे के मरने पर मामा और मामा की बहिन को त्रिरात्राशौच होता हैं अनुपनीत भान्जे के मरण में पक्षिणी आशौच होता है।
- नाना के मरण में दौहित्र दौहित्री दोनों को त्रिरात्राशौच होता है। अन्य ग्राम में मरने पर पक्षिणी आशौच होता है।नानी के मरण में दोनों को पक्षिणी आशौच होता है।
- उपनीत दौहित्र के मरने पर नाना नानी को तीन रात्रि का आशौच होता है। अनुपनीत दौहित्र के मरण में पक्षिणी आशौच होता है। दौहित्री के मरण में आशौच नहीं होता।
- सास ससुर के मरने पर जामाता को समीप होने पर तीन रात्रि का और दूर होने पर पक्षिणी आशौच होता है।
- जामाता के मरण में सास ससससुर को एक रात्र अथवा स्नानमात्र तक आशौच होता है।
- उपनीत साले के मरने में जीजा को एक दिन का आशौच होता है। अनुपनीत में तो स्नानमात्र कहा है।
- मौसी के मरने पर भान्जा भान्जी को पक्षिणी आशौच होता है।
- अपनी बुआ, मौसी व मामा के पुत्र, पिता की बुआ के पुत्र, पिता की मौसी के पुत्र और पिता के माम के पुत्र, माता की बुआ के पुत्र माता की मौसी के पुत्र और माता के मामा के पुत्र के मरने में जो कि उपनीत है तो पक्षिणी अनुपनीत है तो एक दिन का आशौच होता है।
- दत्तक पुत्र के मरने में पूर्वापर मातापिता को तीन रात्रि का और सपिण्डों को एक दिन का आशौच होता हैं। दत्तक को भी पूर्वापर मातापिता के मरने में त्रिरात्राशौच होता है।
- आचार्य के मरने पर तीन रात्रि का आशौच होता है।आचार्य पत्नी अथवा पुत्र के मरने में एक दिन का आशौच होता है। सकल वेदाध्यापक गुरु के मरण में पक्षिणी आशौच होता है।
- जननाशौच में बीता हुआ आशौच नहीं होता। उसमें पिता को केवल स्नानमात्र होता है।
- मरणाशौच में अनुपनीत के मरण निमित्तिक त्रिरात्र–एकरात्र के आशौच में और मामा आदि दूसरे गोत्र के मरण निमित्त पक्षिणी त्रिरात्र आशोच में अतिक्रान्ताशौच नहीं होता।

- दस दिन के मरणाशौच के मध्य दस दिन का अथवा उससे कम का मरणाशौच आ जाए तो पूर्व आशौच के साथ ही उसकी शुद्धि हो जाती है। दशाह के मरणाशौच में दस दिन का अथवा न्यून जननाशौच आने पर मरणाशौच के साथ ही शुद्धि होती हैं
- तीन दिन के मरणाशौच में तीन दिन अथवा न्यून जननाशौच आने पर पूर्व प्रवृत्त आशौच के अन्त में ही शुद्धि होती है। तीनदिन के जननाशोच में तीन दिन का जननाशौच और आ जाए तो पूर्व के साथ ही शुद्धि होती है।
- जननाशौच से मरणाशोच दूर नहीं होता। तीन दिन के मरणाशौच से दस दिन का मरणाशौच निवृत्त नहीं होता।
- यदि पहले आशौच के अन्त में दूसरा आशौच ज्ञात हो तो पहले के साथ निवृत्ति नहीं होती।

धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में अलग अलग स्थितियों के अनुसार आशौच का विधान किया है जिसका सम्यक् अध्ययन कर ही आचरण करना चाहिए। धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में आशौच प्राप्त व्यक्ति के लिए नियम विशेष का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आशौची व्यक्ति खरीद कर या बिना माँगे ही मिले हुए अन्न का भोजन करें और भूमि पर पृथक् पृथक् शयन करें। त पृथ्वी पिण्ड पितृयज्ञ की विधि से तीन दिन प्रेत के लिए पिण्डदान के रूप में अन्न दे।एक दिन मिट्टी के दो पात्रों में पृथक् पृथक् जल और दूध आकाश में रखे। आशौची को श्रुति के आदेश से अग्निहो. आदि वैतानिक और गृह्याग्नि से किये जाने वाला उपासन कर्म एवं सायं प्रातः होम क्रिया करनी चाहिए। यहाँ सूत्र रूप में प्रमुख प्रमुख सिद्धान्तों की विवेचना की गई है।

***प्रोफेसर**
राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जयपुर (राज.)

सन्दर्भ सूची

1. याज्ञवल्क्यस्मृति प्रायश्चिझाध्याय पृ. 392
2. याज्ञज्ञवल्क्यस्मृति प्रायश्चिझाध्याय, श्लोक 20
3. याज्ञवल्क्यस्मृति प्रायश्चिझाध्याय, श्लोक 19 पृ. 408
4. याज्ञवल्क्यस्मृति प्रायश्चिझाध्याय, श्लोक 22